



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-266000  
CG-DL-E-08092025-266000

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947

No. 559]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2025

सा.का.नि.603(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 233 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है।) में, नियम 25 में,

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः

“(1) अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रस्तावित स्कीम की सूचना प्ररूप संख्या सीएए-9 में दिया जाएगा, जिससे रजिस्ट्रार और शासकीय समापक या इस स्कीम से प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति या सुझाव प्राप्त हो सके:

परन्तु किसी क्षेत्रीय विनियामक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा, विनियमित कंपनी के मामले में, संबंधित विनियामक को और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को धारा 233 की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियों या सुझावों के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।”

(ख) उप-नियम (1क) में,-

(i) खंड (ii) में, "स्टार्ट-अप कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "स्टार्ट-अप कंपनी; या" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(iii) अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट कंपनी के अतिरिक्त एक या अधिक अ-सूचीबद्ध कंपनी के साथ अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट कंपनी के अतिरिक्त एक या अधिक अ-सूचीबद्ध कंपनी, जहां विलय में शामिल प्रत्येक कंपनी--:-

(क) के पास कुल मिलाकर दो सौ करोड़ रुपये से अधिक बकाया ऋण, डिबेंचर या जमा राशि है, और

(ख) उप-खंड (क) में निर्दिष्ट ऋण, डिबेंचर या जमा राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं है:

धारा 233 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर तथा अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम फाइल करने की तारीख को;

परन्तु कंपनी के लेखापरीक्षक से यह प्रमाण पत्र कि कंपनी इस खंड में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है, अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुमोदित स्कीम की प्रति के साथ प्ररूप संख्या सीएए-10क में फाइल किया जाएगा;

(iv) एक होलिंग कंपनी (सूचीबद्ध या - अ-सूचीबद्ध) और एक सहायक कंपनी (सूचीबद्ध या अ-सूचीबद्ध):

परन्तु यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां हस्तांतरणकर्ता कंपनी या कंपनियां सूचीबद्ध हैं;

(v) किसी होलिंग कंपनी की एक या अधिक सहायक कंपनी, उसी होलिंग कंपनी की एक या अधिक अन्य सहायक कंपनी के साथ, जहां हस्तांतरणकर्ता कंपनी या कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हैं;

उदाहरण:-

कंपनी 'डी', कंपनी 'सी' की सहायक कंपनी है और कंपनी 'सी', कंपनी 'बी' की सहायक कंपनी है और बदले में कंपनी 'बी', कंपनी 'ए' की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) है।

इस मामले में, कंपनी 'बी', कंपनी 'ए' की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी 'सी' और कंपनी 'डी' एक ही होलिंग कंपनी, अर्थात् कंपनी 'ए' की सहायक कंपनियां हैं।

खंड में उल्लिखित शर्त के अधीन, कंपनी 'ए', कंपनी 'बी', कंपनी 'सी' और कंपनी 'डी' या उसके किसी संयोजन के बीच विलय या समामेलन या हस्तांतरण या विभाजन की स्कीम इस खंड के अंतर्गत कवर की जाएंगी।

(vi) भारत के बाहर निगमित अंतरक विदेशी कंपनी का, जो एक होलिंग कंपनी है, अंतरिती भारतीय कंपनी जो भारत में निगमित उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है के साथ विलय, जिसे नियम 25क के उपनियम (5) में निर्दिष्ट किया गया है;”

(ग) उपनियम (2) में, "प्ररूप संख्या सीएए.10" में शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक “(प्रपत्र जीएनएल-1 के अनुलग्नक के रूप में)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) उपनियम (4) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये अंतरणकर्ता कंपनी सदस्यो या सदस्यो की वर्ग अथवा लेनदारो या लेनदारो की वर्ग की बैठक समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिनों के भीतर सदस्यो और लेनदारो द्वारा यथाअनुमोदित स्कीम की एक प्रति प्रत्येक बैठक के परिणाम की एक रिपोर्ट और प्ररूप संख्या सीएए.11 (प्ररूप आरडी-1के अनुलग्नक के रूप में) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन की रिपोर्ट के साथ, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अधीन विनिर्दिष्टनुसार फीस सहित केंद्रीय सरकार को प्ररूप संख्या सीएए-11 में फाइल करेगी।

परन्तु उप-नियम (1) के परंतुक में निर्दिष्ट कंपनी के मामले में, यथास्थिति, क्षेत्रीय विनियामक या स्टॉक एक्सचेंजों की आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हों, को स्कीम में समाधान करने की रीति के बारे में एक बयान स्कीम के साथ संलग्न किया जाएगा:”

(इ) उप-नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(9) इस नियम के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, धारा 232 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी कंपनी के उपक्रम के विभाजन या अंतरण की योजना के संबंध में लागू होंगे और ऐसा आदेश पारित करते समय, केंद्रीय सरकार धारा 232 की उप-धारा (3) के खंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट प्रकृति के उपबंध, जहां तक वे लागू होते हैं, कर सकेगी।”

3. इन नियमों के उपाबंध-क में, प्ररूप सीएए-9, सीएए-10, सीएए-11 और सीएए-12 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

#### प्ररूप संख्या सीएए.9

[धारा 233(1)(क) और नियम 25(1) के अनुसरण में]

#### आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की स्कीम की सूचना

एतद्वारा मैसर्स [.....](कंपनी का नाम) द्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स [...] (कंपनी का नाम) के साथ विलयन या समामेलन या विभाजन या उपक्रम के हस्तांतरण की स्कीम प्रस्तावित है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 की उप-धारा (1) (क) के अनुसरण में इस स्कीम के संबंध में आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

स्कीम की एक प्रति संलग्न है।

निम्नलिखित से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित हैं –

- (i) रजिस्ट्रार (उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार का ब्यौरा दें जहां अंतरक/अंतरिती कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है);
- (ii) शासकीय समापक (उस क्षेत्र के शासकीय समापक के ब्यौरे दें, जहां अंतरक कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है); और
- (iii) कोई भी व्यक्ति जिसका हित इस प्रस्तावित स्कीम से प्रभावित होने की संभावना हो।

उपरोक्त (i), (ii) या (iii) में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति, इस स्कीम के संबंध में आपत्तियां या सुझाव देने का इच्छुक इस सूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां या सुझाव [.....] (केंद्रीय सरकार ..... (पता) और अंतरक कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि) श्री \_\_\_\_\_ (पता) को भेजें।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षरित/-

(प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे का उल्लेख करें).

संलग्नक: स्कीम की एक प्रति

**प्ररूप संख्या सीएए.10****[धारा 233(1)(ग) और नियम 25(2) के अनुसरण में]****शोधन क्षमता की घोषणा**

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन):

2. (क) कंपनी का नाम:

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

(ग) कंपनी का ई-मेल पता:

3. (क) क्या कंपनी सूचीबद्ध है:

- ☐ हाँ
- ☐ नहीं

(ख) यदि सूचीबद्ध है, कृपया उस स्टॉक एक्सचेंज के नाम(नामों) निर्दिष्ट करें जहां यह सूचीबद्ध है:

-----

-----

4. स्कीम को अनुमोदित करने वाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की तारीख

**शोधन क्षमता की घोषणा**

हम, निदेशक मेसर्स..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि हमने इस कंपनी के कार्यों की पूर्ण जांच की है और यह राय है कि यह कंपनी अपनी कर्ज की स्थिति में भी अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है और इस कंपनी को इस घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक दिवालिया नहीं बनाया जाएगा।

हम, इस घोषणा की नवीनतम तारीख तक .....कंपनी की आस्तियों और दायित्वों की एक लेखा परीक्षा ब्यौरा संलग्न करते हैं।

हम यह और ,घोषणा करते हैं कि तुलनपत्र सहित कंपनी के लेखा संपरीक्षित वार्षिक लेखा को आज की तारीख तक कंपनी रजिस्ट्रार .....के समक्ष फाइल कर दिया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षरित

(1) हस्ताक्षर :.....

तारीख नाम :.....

स्थान प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो

(2) हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

निदेशक

(3) हस्ताक्षर:.....

नाम :.....

निदेशक

#### सत्यापन

हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि हमने इस कंपनी की अस्तियों और दायित्वों सहित कंपनी के कार्यों की पूर्ण जांच कर ली है और ऐसा करने के बाद और यह नोट करने के बाद कि ..... और .....के बीच विलयन या समामेलन या विभाजन या अंतरण स्कीम शामिल है, को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 233 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित हेतु कंपनी के शेयर धारकों और लेनदारों के समक्ष रखने का प्रस्ताव है, हम इसे सत्य मानते हुए इस बात की घोषणा करते हैं।

तारीख .....20..... को सत्यापित किया गया।

(1) हस्ताक्षर.....:

नाम:.....

प्रबंध निदेशक

(2) हस्ताक्षर.....:

नाम:.....

निदेशक

(3) हस्ताक्षर.....:

नाम:.....

निदेशक

.....20..... को .....में मेरे समक्ष सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा एवं घोषणा की गई है।

शपथ आयुक्त और  
नोटरी पब्लिक

संलग्नक:

(क) बोर्ड के संकल्प की प्रति

(ख) अस्तियों और दायित्वों का ब्यौरा

(ग) अस्तियों और दायित्वों के ब्यौरा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अनुलग्नक

..... तक अस्तियों और दायित्वों का ब्यौरा

कंपनी का नाम.....

आस्तियां

बही अनुमानित

मूल्य प्राप्त मूल्य

1. बैंक में शेष राशि
2. रोकड़ शेष
3. विपण्य प्रतिभूति
4. प्राप्य बिल
5. व्यापार देनदार
6. ऋण और अग्रिम
7. अदत्त मांगें
8. व्यापार स्टॉक
9. चालू कार्य
10. पूर्ण स्वामित्व
11. पट्टे वाली संपत्ति

12. प्लांट और मशीनरी
13. फर्नीचर, साज सामान, बर्तन, आदि।
14. पेटेंट, व्यापार चिह्न, आदि
15. विपण्य प्रतिभूतियों के अलावा निवेश
16. अन्य संपत्ति

.....

कुल:

.....

**दायित्व**  
**भुगतान के दर्जे के लिए अनुमानित**

(निकटतम रुपए में)

1. विनिर्दिष्ट आस्तियों पर प्रतिभूत
2. चल प्रभार (रों) द्वारा प्रतिभूत
3. समापन और ऋणों के संपूर्ण भुगतान होने तक प्रोद्भूत ब्याज सहित अन्य व्ययों की अनुमानित लागत

4. अप्रतिभूत लेनदार

(भुगतान के दर्जे के लिए

अनुमानित राशि)

(क) व्यापार खाता

(ख) देय बिल

(ग) प्रोद्भूत व्यय

(घ) अन्य दायित्व

(ङ) आकस्मिक दायित्व.....

कुल

.....

आस्तियों का कुल अनुमानित मूल्य

रु.....

कुल दायित्व

रु.....

ऋण के संपूर्ण भुगतान के

पश्चात् अनुमानित अधिशेष

रु.....

टिप्पणी

(1) हस्ताक्षर :.....

नाम:.....

प्रबंध निदेशक

(2) हस्ताक्षर :.....

नाम:.....

निदेशक

(3) हस्ताक्षर :.....

नाम:.....

निदेशक

स्थान:.....

तारीख:.....



**प्ररूप संख्या सीएए.10क****[धारा 233 और नियम 25(1क)(iii) के अनुसरण में]**

लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स \_\_\_\_\_ जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 (1) के अधीन प्रादेशिक निदेशक \_\_\_\_\_, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास धारा 233(2) के तहत अनुमोदित स्कीम की एक प्रति प्रस्तुत कर रही है, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 25(1क) (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है। \_\_\_\_\_ तक कंपनी के प्रासंगिक ब्यौरे निम्नानुसार हैं: -

| <u>ब्यौरा</u>      | <u>धनराशि</u> |
|--------------------|---------------|
| चुकता शेयर पूंजी   |               |
| मुक्त आरक्षित निधि |               |
| बकाया ऋण           |               |
| बकाया डिवेंचर      |               |
| बकाया जमा          |               |

ह./-

मैसर्स \_\_\_\_\_ का लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक \_\_\_\_\_ का नाम

सदस्यता संख्या \_\_\_\_\_

तारीख

स्थान

**प्ररूप संख्या सीएए11.****[धारा 233 (2) और नियम 25 (4) के अनुसरण में]****स्कीम के अनुमोदन की सूचना**

**केंद्रीय सरकार, रजिस्ट्रार और शासकीय समापक के समक्ष अंतरिती कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)**

1. (क) कारपोरेट पहचान संख्यांक (सीआईए)  
(ख) वैश्विक अवस्थिति संख्यांक (जीएलएन) :
2. (क) अंतरिती/परिणामी कंपनी का नाम  
(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता  
(ग) ई-मेल पता:

3 (क). क्या अंतरक और अंतरिती इस प्रकार संबंधित हैं:

- ☐ छोटी कंपनियां
- ☐ नियंत्री और पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी कंपनियां (डब्ल्यूओएस)
- ☐ नियंत्री और समानुषंगी कंपनियां (डब्ल्यूओएस के अलावा)
- ☐ स्टार्ट अप कंपनियां
- ☐ छोटी कंपनी और स्टार्ट अप कंपनियां
- ☐ विदेशी नियंत्री कंपनी और भारतीय पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी कंपनी
- ☐ अन्य (ब्यौरा दें)।

(ख) यह स्कीम के लिए है

- ☐ विलयन या समामेलन
- ☐ उपक्रम का अंतरण या विभाजन

4. अंतरक कंपनी का ब्यौरा

(क) कारपोरेट पहचान संख्यांक (सीआईएन):

(ख) वैश्विक अवस्थिति संख्यांक जीएलएन):

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

ई-मेल पता:

5. संक्षिप्त ब्यौरा: [स्कीम के संक्षिप्त विवरणों का उल्लेख करें जैसे कि शामिल पक्ष, प्रकृति और प्रतिफल की राशि, शेयर जारी करने का तरीका, शेयर पात्रता अनुपात आदि]

6. अंतरिती कंपनी/परिणामी कंपनी द्वारा स्कीम के अनुमोदन का ब्यौरा:

(क) सदस्यों का अनुमोदन

(i) सदस्यों को सूचना भेजने की तारीख:

(ii) साधारण बैठक की तारीख:

(iii) साधारण बैठक में स्कीम के अनुमोदन की तारीख:

(iv) (सदस्यों या सदस्यों का वर्ग जो शेयरों की कुल संख्या का कम से कम नब्बे प्रतिशत रखते हैं) के बहुमत से अनुमोदित:

(ख) लेनदारों द्वारा अनुमोदन

(i) लेनदारों को सूचना भेजने की तारीख:

(ii) लेनदारों की बैठक की तारीख:

(iii) लेनदारों की बैठक में स्कीम के अनुमोदन की तारीख:

(iv) (लेनदार के मूल्य में कम से कम 10/9) के बहुमत से अनुमोदित:

7. अंतरक कंपनी द्वारा स्कीम के अनुमोदन का व्यौरे:

(क) सदस्यों द्वारा अनुमोदन

(i) सदस्यों को सूचना भेजने की तारीख:

(ii) साधारण बैठक की तारीख:

(iii) साधारण बैठक में स्कीम के अनुमोदन की तारीख:

(iv) (कुल शेयरों की संख्या का न्यूनतम 90% रखने वाले सदस्यों या सदस्य वर्ग) के बहुमत से अनुमोदित:

(ख) लेनदारों द्वारा अनुमोदित

(i) लेनदारों को सूचना भेजने की तारीख:

(ii) लेनदारों की बैठक तारीख:

(iii) बैठक में स्कीम के अनुमोदन की तारीख:

(iv) (लेनदार के मूल्य में कम से कम 10/9) के बहुमत से अनुमोदित:

#### घोषणा

मैं .....अंतरक/परिणामी कंपनी का निदेशक यह घोषणा करता हूं कि-

(i) धारा 233(1)(क) के तहत अपेक्षित स्कीम की सूचना को उस स्थान जहां अंतरक या विलय, अंतरिती या परिणामी कंपनियों का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, के रजिस्ट्रार और शासकीय समापक और अन्य सभी व्यक्तियों जिनकी इस स्कीम से प्रभावित होने की संभावना है को सम्यक रूप से भेज दिया गया है, और इसकी एक प्रति संलग्न है;

(ii) संबंधित व्यक्तियों की समाधान के लिए स्कीम पर आक्षेपों को सम्यक रूप में रखा गया है;

(iii) इस स्कीम को क्रमशः धारा 233 (1) (ख) और (घ) के अनुसरण में अपेक्षित बहुमत द्वारा अंतरक या विलयन, अंतरिती या परिणामी कंपनी के सदस्यों और लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया गया है;

(iv) धारा 233 (9) (ग) में निर्दिष्ट अंतरक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अंतरिती कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएगी;

(v) अधिनियम की धारा 233 और उसमें वहां बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है; और।

(vi) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन पत्र और इसके संलग्नक में दी गई सूचना सही और पूर्ण है;

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

**संलग्नक:**

1. लेनदारों और सदस्यों दोनों द्वारा अनुमोदित स्कीम की प्रति;
2. धारा 233 (1) (क) के अनुसरण में भेजी गई सूचना;
3. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

**प्रपत्र संख्या सीएए.12**

[धारा 233 और नियम 25(5) के अनुसरण में]

मैसर्स.....और मैसर्स.....

**के मध्य उपक्रम के विलयन या समामेलन या अंतरण या विभाजन की स्कीम का पुष्टि आदेश**

धारा 233 के उपबंधों के अनुसरण में, मैसर्स.....(अंतरक/विघटित कंपनी) के बीच मैसर्स  
..... (अंतरिती/परिणामी कंपनी) उपक्रम के विलयन या समामेलन या अंतरण या विभाजन की स्कीम को  
जो कि धारा 233 (1) (ख) और (घ) में अपेक्षित है जो ,पुष्टि की गई है ,उनके संबंधित सदस्यों और लेनदारों द्वारा  
अनुमोदित किया गया है, और यह स्कीम तारीख..... 20..... से प्रभावी होगी।

स्वीकृत स्कीम की एक प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है।

मुहर के साथ हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल.V भाग]

बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव

**टिप्पण:-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1134(अ)  
तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित  
किए गए थे:-

| क्रम संख्या | अधिसूचना संख्या | अधिसूचना तारीख  |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 1           | सा.का.नि 368(अ) | 13 अप्रैल, 2017 |
| 2           | सा.का.नि 79(अ)  | 3 फरवरी, 2020   |
| 3           | सा.का.नि 773(अ) | 17 दिसंबर, 2020 |
| 4           | सा.का.नि 93(अ)  | 1 फरवरी, 2021   |
| 5           | सा.का.नि 401(अ) | 30 मई, 2022     |
| 6           | सा.का.नि 367(अ) | 15 मई, 2023     |
| 7           | सा.का.नि 555(अ) | 9 सितंबर, 2024  |

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2025

**G.S.R. 603(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 233 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 namely :-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 (hereafter referred to as “the said rules”), in rule 25—**

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The notice of the proposed scheme, under clause (a) of sub-section (1) of section 233 of the Act, to invite objections or suggestions from the Registrar and official liquidator or persons affected by the scheme shall be in **Form No. CAA.9:**

Provided that in case of a company regulated by a sectoral regulator such as Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board, Insurance Regulatory and Development Authority of India or Pension Fund Regulatory and Development Authority, as the case may be, the notice shall be issued to the concerned regulator and to respective stock exchanges, for listed companies, for objections or suggestions within the period specified in clause (a) of sub-section (1) of section 233.”.

(b) in sub-rule (1A),—

(i) in clause (ii), for the words “small company”, the words “small company; or” shall be substituted.

(ii) after clause (ii), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(iii) one or more unlisted company, (not being company referred to in section 8 of the Act) with one or more unlisted company, (not being company referred to in section 8 of the Act), where every company involved in the merger,—

(a) has, in aggregate, outstanding loans, debentures or deposits not exceeding two hundred crore rupees, and

(b) has no default in repayment of loans, debentures or deposits referred to in sub-clause (a),

on a day, not more than thirty days before the date of notice referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 233 of the Act and on the date of filing of scheme under sub-section (2) of section 233 of the Act:

Provided that a certificate from the auditor of the company that the company meets the conditions referred to in this clause shall be filed in **Form No. CAA-10A** along with the copy of the approved scheme referred to in sub-section (2) of section 233 of the Act;

(iv) a holding company (listed or unlisted) and a subsidiary company (listed or unlisted):

Provided that this clause shall not apply where the transferor company or companies are listed;

(v) one or more subsidiary company of a holding company with one or more other subsidiary company of the same holding company where the transferor company or companies are not listed;

Illustration:-

Company 'D' is the subsidiary of Company 'C' and Company 'C' is the subsidiary of Company 'B' and in turn Company 'B' is the wholly owned subsidiary (WOS) of Company 'A'.

In this case Company 'B' is the WOS of Company 'A'. Company 'C' and Company 'D' are subsidiaries of the same holding company i.e. Company 'A'

Subject to the condition stated in the clause, schemes of merger or amalgamation or transfer or division between Company 'A', Company 'B', Company 'C' and Company 'D' or any combination thereof would be covered under this clause.

(vi) merger of the transferor foreign company incorporated outside India being a holding company with the transferee Indian company being its wholly owned subsidiary company incorporated in India referred to in sub-rule (5) of rule 25A.”.

(c) in sub-rule (2), after the words, letters and figures “**Form No. CAA.10**”, the brackets, words, letters and figure “(as attachment to Form **GNL-1**)” shall be inserted.

(d) in sub-rule (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) For the purposes of sub-section (2) of section 233 of the Act, the transferee company shall, within a period of fifteen days after the conclusion of the meeting of members or class of members or creditors or class of creditors, file a copy of the scheme as agreed to by the members and creditors, along with a report of the result of each of the meetings and the report of the registered valuer in **Form No. CAA.11** (as attachment to **Form RD-1**), with the Central Government, along with the fees as provided under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014:

Provided that in case of a company referred to in proviso to sub-rule (1), a statement about the manner in which the objections or suggestions, if any, of the sectoral Regulator or the stock exchanges, as the case may be, have been addressed in the scheme shall be attached with the scheme.”.

(e) after sub-rule (8) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(9) The provisions of this rule shall, mutatis mutandis, apply in respect of a scheme of division or transfer of undertaking of a company referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 232 and while passing such order, the Central Government may make provisions of the nature specified in clauses (a) to (j) of sub-section (3) of section 232 to the extent they are applicable.”.

**3.** In the said rules, in Annexure-A, for Forms CAA-9, CAA-10, CAA-11 and CAA-12, the following Forms shall be substituted, namely:-

**FORM NO. CAA.9**

[Pursuant to section 233(1)(a) and rule 25(1)]

**Notice of the scheme inviting objections or suggestions**

Notice is hereby given by M/s [...] (name of the company) that a scheme of merger or amalgamation or division or transfer of undertaking is proposed to be entered with M/s [...] (name of the company) and in pursuance of sub-section (1)(a) of Section 233 of the Companies Act, 2013, objections or suggestions are invited in respect of the scheme.

A copy of the scheme is enclosed.

Objections or suggestions are invited from –

- (i) the Registrar (mention the details of the Registrar of the area where the registered office of the transferor /transferee company is situated);
- (ii) Official Liquidator (mention the details of the Official Liquidator of the area where the registered office of the transferor company is situated); and
- (iii) Any person whose interest is likely to be affected by the proposed scheme.

Any person mentioned in (i), (ii) or (iii) above, desirous of providing objections or suggestions in respect of the scheme should send their objections or suggestions within thirty days from the date of this notice to [...] (the Central Government at ..... (address) and to Shri \_\_\_\_\_ (address) being authorised representative of the transferor company).

Date :

Place :

Sd/-(mention the details of the authorised representative).

**Enclosure: A copy of the scheme**

**FORM NO. CAA.10**

[Pursuant to section 233(1)(c) and rule 25(2)]

**Declaration of solvency**

1. (a) Corporate identity number (CIN) of company :

(b) Global location number (GLN) of company:

2. (a) Name of the company:

(b) Address of the registered office of the company:

(c) E-mail ID of the company:

3. (a) Whether the company is listed:

☐ Yes☐ No

(b) If listed, please specify the name(s) of the stock exchange(s) where listed:

-----

-----

4. Date of Board of Directors' resolution approving the scheme

**Declaration of solvency**

We, the directors of M/s ..... do solemnly affirm and declare that we have made a full enquiry into the affairs of the company and have formed the opinion that the company is capable of meeting its liabilities as and when they fall due and that the company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of making this declaration.

We append an audited statement of company's assets and liabilities as at ..... being the latest date of making this declaration.

We further declare that the company's audited annual accounts including the Balance Sheet have been filed upto date with the Registrar of Companies .....

Signed for and behalf of the board of directors

(1) Signature: .....

Date Name: .....

Place Managing Director, if any



(2) Signature: .....  
Name: .....  
Director

(3) Signature: .....  
Name: .....  
Director

### Verification

We solemnly declare that we have made a full enquiry into the affairs of the company including the assets and liabilities of this company and that having done so and having noted that the scheme of merger or amalgamation or division or transfer between ..... and ..... is proposed to be placed before the shareholders and creditors of the company for approval as per the provisions of sub-section of (1) of section 233 of the Companies Act, 2013, we make this solemn declaration believing the same to be true.

Verified this day the ..... day of ....., 20.....

(1) Signature :.....  
Name :.....  
Managing Director

(2) Signature :.....  
Name :.....  
Director

(3) Signature :.....  
Name :.....  
Director

Solemnly affirmed and declared at ..... the ..... day of ....., 20..... before me.

Commissioner of Oaths and Notary Public

### Attachments:

- a) Copy of board resolution
- b) Statement of assets and liabilities
- c) Auditor's report on the statement of assets and liabilities

**ANNEXURE****Statement of assets and liabilities as at .....**

Name of the company .....

**Assets**Book  
ValueEstimated  
Realisable value

1. Balance at Bank
2. Cash in hand
3. Marketable securities
4. Bills receivables
5. Trade debtors
6. Loans & advances
7. Unpaid calls
8. Stock-in-trade
9. Work in progress
10. Freehold property
11. Leasehold property
12. Plant and machinery
13. Furniture, fittings, utensils, etc.
14. Patents, trademarks, etc.
15. Investments other than  
marketable securities
16. Other property

Total:

**Liabilities**

Estimated to rank for payment  
(to the nearest rupee)

1. Secured on specific assets
2. Secured by floating charge(s)
3. Estimated cost of liquidation  
and other expense including  
interest accruing until payment  
of debts in full.

## 4. Unsecured creditors

(amounts estimated  
to rank for payment)

(a) Trade accounts

(b) Bills payable

(c) Accrued expense

(d) Other liabilities

(e) Contingent liabilities

Total:

Total estimated value of assets

Rs. ....

Rs. ....

Total liabilities

Rs. ....

Estimated surplus after paying  
debts in full

Remarks

(1) Signature: .....

Name: .....

Managing Director

(2) Signature: .....

Name: .....

Director

(3) Signature: .....

Name: .....

Director

Place : .....

Date: .....

**FORM NO. CAA.10A****[Pursuant to section 233 and rule 25 (1A) (iii)]**

Certificate by the auditor

Certified that M/s \_\_\_\_\_ which is filing a copy of the scheme approved under section 233(1) of the Companies Act, 2013 with the Regional Director \_\_\_\_\_, Ministry of Corporate Affairs under section 233(2) meets the conditions referred to in Rule 25 (1A) (iii) of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016. The relevant particulars of the company as on \_\_\_\_\_ are as under:-

| <b><u>Particulars</u></b> | <b><u>Amount</u></b> |
|---------------------------|----------------------|
| Paid-up Share capital     |                      |
| Free-reserves             |                      |
| Outstanding loans         |                      |
| Outstanding debentures    |                      |
| Outstanding deposits      |                      |

Sd/-

Auditor of M/s \_\_\_\_\_

Name of Auditor \_\_\_\_\_

Membership Number \_\_\_\_\_

Place : .....

Date : .....

**FORM NO.CAA.11**

[Pursuant to section 233(2) and rule 25(4)]

**Notice of approval of the scheme****(To be filed by the transferee company to the Central Government, Registrar and the Official Liquidator)**

1. (a) Corporate Identity Number (CIN) :

(b) Global Location Number (GLN) :

2. (a) Name of the transferee/ resultant company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail id:

3 (a). Whether the transferor and transferee are related as:

- ☐ Small companies
- ☐ Holding and wholly owned subsidiaries (WOS)
- ☐ Holding and subsidiaries (other than WOS)
- ☐ Start Up companies
- ☐ Small Company and Start Up companies
- ☐ Foreign Holding Company and Indian wholly owned subsidiary
- ☐ Others (Give Detail).

(b) The scheme is for

- ☐ Merger or amalgamation
- ☐ Transfer or division of undertaking

4. Details of transferor company

(a) Corporate Identity Number (CIN) :

(b) Global Location Number (GLN) :

Name of the company:

Registered office address:

E-mail id:

5. Brief particulars: [Mention brief particulars of the scheme viz parties involved, nature and amount of consideration, manner of issuance of shares, share entitlement ratio etc]

6. Details of approval of the scheme by the transferee company/resultant company:

(a) Approval by members

(i) Date of dispatch of notice to members:

(ii) Date of the General meeting:

(iii) Date of approval of scheme in the General meeting:

(iv) Approved by majority of: (members or class of members holding atleast ninety percent of the total number of shares)

(b) Approval by creditors

(i) Date of dispatch of notice to creditors:

(ii) Date of the meeting of creditors:

(iii) Date of approval of scheme in creditors meeting:

(iv) Approved by majority of: (at least nine tenths in value of creditors)

7. Details of approval of the scheme by the transferor company:

(a) Approval by members

(i) Date of dispatch of notice to members:

(ii) Date of the General meeting:

(iii) Date of approval of scheme in the General meeting:

(iv) Approved by majority of: (members or class of members holding atleast ninety percent of the total number of shares)

(b) Approval by creditors

(i) Date of dispatch of notice to creditors:

(ii) Date of the meeting of creditors:

(iii) Date of approval of scheme in such meeting:

(iv) Approved by majority of: (at least nine tenths in value of creditors)

**Declaration**

I .....the director of the transferee/ resultant company hereby declares that-

- (i) Notice of the scheme as required under section 233(1)(a) was duly sent to the Registrars and Official Liquidators of the place where the registered office of the transferor or demerged, transferee or resultant companies are situated and to all other persons who are likely to be affected by the scheme and a copy of the same has been attached herewith;
- (ii) the objections to the scheme have been duly taken care of to the satisfaction of the respective persons;
- (iii) the scheme has been approved by the members and creditors of the transferor or demerged, transferee or resultant company by the requisite majority in accordance with section 233(1)(b) and (d) respectively;
- (iv) the legal proceedings by or against the transferor company as referred to in section 233(9)(c) shall be continued by or against the transferee company;
- (v) all the requirements under section 233 of the Act and the rules made there have been complied with; and.
- (vi) to the best of my knowledge and belief the information given in this application and its attachments is correct and complete;

Date:

Place:

Signature

**Attachments:**

1. Copy of the scheme approved by both creditors and members;
2. Notice sent in accordance with section 233(1)(a);
3. Optional attachments, if any.

**FORM NO. CAA.12**

[Pursuant to section 233 and rule 25(5)]

**Confirmation order of scheme of merger or amalgamation or transfer or division of undertaking  
between****Ms.....and Ms.....**

Pursuant to the provisions of section 233, the scheme of merger or amalgamation or transfer or division of undertaking of M/s .....(transferor/ demerged company) with M/s..... (transferee/ resultant company) approved by their respective members and creditors as required under section 233(1) (b) and (d), is hereby confirmed and the scheme shall be effective from the .....day of .....20....

A copy of the approved scheme is attached to this order.

Signature with seal

Date

Place

[F. No. 2/31/CAA/2013 – CL.V Part]

BALAMURUGAN D., Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 1134(E), dated the 14<sup>th</sup> December, 2016 and subsequently amended *vide* the following notifications: -

| Serial Number | Notification Number | Notification Date               |
|---------------|---------------------|---------------------------------|
| 1             | G.S.R 368(E)        | 13 <sup>th</sup> April, 2017    |
| 2             | G.S.R. 79(E)        | 3 <sup>rd</sup> February, 2020  |
| 3             | G.S.R. 773(E)       | 17 <sup>th</sup> December, 2020 |
| 4             | G.S.R. 93(E)        | 1 <sup>st</sup> February, 2021  |
| 5             | G.S.R. 401(E)       | 30 <sup>th</sup> May, 2022      |
| 6             | G.S.R.367(E)        | 15 <sup>th</sup> May, 2023.     |
| 7             | G.S.R. 555(E)       | 9 <sup>th</sup> September, 2024 |